

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला - पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वि. सं. - 70/2019
आर.सी.एम.एस. - 2019/00121
दायर तिथि :- 18.10.2019
तारीख निर्णय - 08.11.2019

प्रार्थीगण :-

श्रीमती सरिता पंवार पत्नि श्री कुलदीप सिंह
जाति - मेघवाल,
निवासी - पुराड़ा, तह. सुमेरपुर

ब न म

अप्रार्थी :-

तहसीलदार (भूमिधारी),
सुमेरपुर (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

दिनांक : 08.11.2019




पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। सरकारी पैरोकार उपस्थित।

सरकारी पैरोकार ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भूमिधारी ने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी द्वारा सीमांकन बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसकी पालना में पटवारी हल्का पोमावा द्वारा मौजा पुराड़ा के खसरा नं. 531/1 रकबा 0.40 हैक्टेयर का उपस्थित मौतबिरान एवं प्रार्थी के उक्त खसरे की माठ का सीमांकन कर निशानात बताये गये, जिस पर पड़ौसी खातेदारों द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अतः तहसीलदार सुमेरपुर मौके पर पटवारी हल्का पोमावा के साथ मौके पर उपस्थित रहकर मौजा पुराड़ा के खसरा नं. 531/1 रकबा 0.40 हैक्टेयर का प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में सीमांकन करवाकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी हल्का पोमावा एवं तहसीलदार सुमेरपुर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।


08.11.19
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

